सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2018 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2018/00010

अनवान

1. श्रीमती केशरदेवी पत्नि दौलनाथ, जाति जोगी, निवासी पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती लालीदेवी पत्नि उदयनाथ, जाति जोगी, निवासी पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती हुकीदेवी पत्नि रूपनाथ, जाति जोगी, निवासी पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण / निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती वेनी पत्नि श्री लक्ष्मण गाड़ोलिया लौहार, निवासी पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण / रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री मनोहरलाल आहरी, सरपंच, ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
3. श्री विनोद कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा, पंचायत समिति ऋषभदेव, दिनांक 05.06.2017

* निर्णय *

दिनांक– 31-08-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षी संख्या 2 श्रीमती वेनी पत्नि श्री लक्ष्मण गाड़ोलिया लौहार द्वारा विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा के यहां एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि आबादी भूमि की आराजी संख्या 1831 / 657 मे विपक्षी संख्या 2 का रिहायशी पक्का मकान बना हुआ हो पीढियों से रह रहें हैं, जिसका पट्टा दिया जावें। आवेदन मे 30X45फीट साईज व पड़ोस अंकित किये, मोहल्ले के दो लोगो के अनापत्ति प्रमाण पत्र जिन पर उनके पता व तारीख अंकित नहीं है, लिये गये, नजरी नक्शा भी

साथ मे पेश किया, उस आधार पर एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भी कथित तौर पर बिना किसी दिनांक के बनाया जाना रिकॉर्ड मे हैं एवं उस आधार पर निर्णय करना बताया हैं, किन्तु उसमे न तो कोई तिथि है, न ही आराजी नम्बर है, न ही कितने वर्षो से मकान बना है, उसका उल्लेख किया हैं। वार्ड पंचो की निरीक्षण रिपोर्ट भी रिक्त है, आपत्ति आह्वान पत्र मे भी दिनांक अंकित नहीं हैं। उक्त दस्तावेजों के आधार पर पंचायत द्वारा आज्ञाओं की सूची निष्पादित करना बताया है, जिसमे किसी भी आज्ञा के लिये किसी प्रकार की तिथि अंकित नहीं हैं और न ही प्रत्येक कार्यवाही किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैं। आदेशिका के अंत मे पीढी पक्के मकान मे निवासित होना बताकर नियम 157 के आधार पर निःशुल्क पट्टा जारी करने का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित कर मिसल बंद करने का उल्लेख हैं और उसी आधार पर दिनांक 05.06.2017 को 1300वर्गफीट का आवेदन मे वर्णित पड़ोस के आधार पर पट्टा जारी किया गया हैं। जिस भूमि का पट्टा जारी करना बताया गया है, उस पर निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण का वर्षो से कब्जा है, उसे बिना बेदखल किये पट्टा जारी कर दिया गया है। पंचायत की समस्त कार्यवाही फर्जी एवं बाद मे तैयार की गई हैं। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है, जिसमे मात्र पीढियों से निर्मित आवासीय ईकाई जिसका कोई स्वामित्व का दस्तावेज न हो, को ही पंचायत को पट्टा देने का अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु विवादित मामले मे इस नियम की आड़ मे खाली भूखण्ड़ का पट्टा जारी कर मिलीभगत कर अनियमितता की गई हैं। विपक्षी संख्या 2 के आवेदन से लगातार निर्णय होने तक प्रोसिड़िंग आदि किसी मे कोई तारीख अंकित नहीं हैं। जिस विपक्षी संख्या 2 को पट्टा देना बताया गया है, वह पण्ड्यावाड़ा पंचायत क्षेत्र का निवासी नहीं है एवं उसे पट्टा प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। पट्टा दिनांक 05.06.2017 का बताया है, परन्तु निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण द्वारा जो प्रमाणित प्रतियां पत्रावली की ली है, उसके सरवरक मे दायर दिनांक 11.09.2017 अर्थात पट्टे के 3 माह 6 दिन बाद का उल्लेख है। दायर संख्या, फैसल संख्या, अनवान आदि अंकित न होना फर्जी कार्यवाही का प्रमाण हैं। पट्टे पर कोई आराजी अंकित नहीं है, न ही उस पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं। उक्त समस्त दस्तावेज एक ही हस्तलिपि मे एक साथ शिकायत करने के बाद सृजित किये गये हैं। ग्राम पचांयत द्वारा एक तरफ पुरानी निर्मित ईकाई का पट्टा देने का आवेदन व उस पर समस्त कार्यवाही करना जाहिर किया है, वहीं पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 11.09.2017 मे उसमे भवन निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान करना दर्शाया है अर्थात मौके पर भवन पूर्व मे स्थित नहीं था। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा जारी अवैध पट्टा दिनांक 05.06. 2017 एवं उसके संबंध मे की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा की ओर से सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 श्रीमती वेनी पत्नि श्री लक्ष्मण गाड़ोलिया लौहार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत मे विपक्षी संख्या 2 विगत 10 वर्षो से

निवासरत हैं। पत्रावली मे 11.09.2017 सरवरक दस्तावेज शामिल हो सहवन से अन्य पत्रावली का शामिल हो गया हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत गाड़ोलिया लौहार, घुमन्तु जातियों के निःशुल्क पट्टे जारी करने का प्रावधान दिया हुआ हैं एवं तत्संबंधी कार्यवाही की जाकर निर्णय लिया गया हैं। पट्टा राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प0 दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान के दौरान जारी किया गया हैं, इसलिये एक ही हस्तलिपि अंकित हैं। पत्रावली मे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 को फैसल किया गया है एवं आराजी संख्या 1831/657 दर्ज हैं। वर्तमान मे भूमि आबादी दर्ज हो रिक्त पड़ी हुई हैं। विपक्षी संख्या 2 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा जारी कर भवन पूर्व मे निर्मित न होने पर ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। विपक्षी संख्या 2 को जारी किया गया पट्टा नियमानुसार हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावें। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब अप्राप्त रहने से जवाब बंद किया जाकर प्रकरण मे ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मंगवायी जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 1 की ओर से सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा उपस्थित हुए। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपने निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने की मांग की एवं निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत आवासीय भूमियों का नियमन किया जाता है, न की भूखण्ड़ का। पंचायत के रेकर्ड के अनुसार पट्टा 05.06.2017 को जारी किया गया है, जबकि पत्रावली पर निर्णय 11.09.2017 को हुआ हैं। पत्रावली मे उपलब्ध गवाहों के नाम, पते अपूर्ण है। इसके अतिरिक्त मौके पर मकान न होकर भूखण्ड़ हैं। वार्ड पंच द्वारा किये गये निरीक्षण मे भी कोई विवरण, तारीख आदि अंकित नही है, न ही आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर व दिनांक अंकित हैं, न ही भूखण्ड़ की साईज अंकित की गई हैं। निर्णय पर भी मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर हैं एवं निर्णय भी रिक्त हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की ओर से की गई समस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा की ओर से सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने बहस मे भाग लेते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण मे नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे जारी किया जाना बताया एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने हेतु अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त जवाब, अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा की पत्रावली का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे जारी किया गये पट्टा

संख्या 8551 दिनांक 05.06.2017 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र से संबंधित है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा दिनांक 05.06.2017 को विपक्षी संख्या 2 श्रीमती वेनी पत्नि श्री लक्ष्मण गाड़ोलिया लौहार के पक्ष मे जारी किया जाना पाया गया हैं। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा पट्टा 05.06.2017 को जारी किया गया है, जबकि पत्रावली पर निर्णय 11.09.2017 को हुआ हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर निर्णय से पूर्व ही पट्टा जारी किया गया है, जबकि नियमानुसार निर्णय से पूर्व पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों मे आवेदनकर्ता का आवेदन अपूर्ण होना, नजरी नक्शा रिक्त होना व दिनांक अंकित न होना, अनापत्ति प्रमाण पत्र पर गवाहों के नाम, पते अपूर्ण होना, पटवारी रिपोर्ट के पृष्ठ पर पटवारी के हस्ताक्षर व पड़ोस अंकित न होना, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मे दिनांक अंकित न होना, वार्ड पंच द्वारा किये गये निरीक्षण मे भी कोई विवरण, तारीख आदि अंकित नही होना, आज्ञाओं की सूची/आदेशिका पर कोई हस्ताक्षर व दिनांक अंकित न होना, आपत्ति आह्वान पत्र अपूर्ण होना, निर्णय पत्र पर भी मात्र सरपंच के ही हस्ताक्षर होना व आराजी नम्बर, दिनांक व पत्रावली का विवरण अंकित न होना एवं निर्णय भी रिक्त होना स्पष्ट जाहिर है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से उपस्थित सरपंच एवं सचिव द्वारा विपक्षी संख्या 2 को पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र बताया गया हैं, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यदि विपक्षी संख्या 2 पट्टा प्राप्त करने का पात्र भी था, तो भी पट्टा दिये जाने से पूर्व कार्यालय प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना आवश्यक था। कार्यालय प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जाना अनुचित हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे जारी पट्टा निरस्त कर उक्त बिंदुओं पर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 8551 दिनांक 05.06.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत पण्ड्यावाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी संख्या 2 की पात्रता, रेकर्ड एवं मौके की जांच कर, उभय पक्ष को सुनकर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर नवीन सिरे से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 मे वर्णित प्रावधानानुसार कार्यालय प्रक्रिया को पूर्ण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज 31.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर